

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान मोहर सिंह बनाम जयलाल आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

क्रमांक 134/2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठारीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की फालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
10.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र पेश कर राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी सं० 2931/2023 अनवान जयलाल बनाम मोहरसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 की प्रति पेश की व रेस्पोंडेण्ट के अधिवक्ता ने भी एक प्रार्थना-पत्र पेश कर सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक के आदेश दिनांक 04.07.2023 की प्रमाणित प्रति पेश की। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा ने अपने आदेश दिनांक 04.07.2023 के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2023 को खारिज कर दिया है। अतः यह अपील बेसुध हो चुकी है। अपील बेसुध होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>ba</i> 10/7/23 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़</p>	